

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, बीकानेर।

Phone No: 0151-2202158 e-mail ID dlo.doit.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- लेखा/ई-मित्रा/2018-19/45

दिनांक:- 04/01/19

-:: खुली निविदा सूचना 01/2018-19 ::-

ई-मित्रा परियोजना में शहरी ई-मित्रा कियोस्कों पर रेट लिस्ट व बैनर बोर्ड फलैक्स तैयार कर लगाने के लिये वित्त वर्ष 2018-19 के लिये इच्छुक पंजीकृत निविदादाताओं/अधिकृत डीलर/मार्केटिंग एजेन्ट/थोक विक्रेता/आपूर्तिकर्ताओं से कार्य करवाने हेतु पृथक पृथक सील बंद लिफाफे में तकनीकी योग्यता निर्धारण एवं वित्तीय कार्य सम्पादन के मुख्य प्रस्ताव हेतु मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य/ सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत रू. (लाखों में)	निविदा प्रतिभूति राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	निविदा प्रपत्र विक्रय की तिथि एवं समय	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि
1	शहरी ई-मित्रा कियोस्कों पर रेट लिस्ट व बैनर बोर्ड फलैक्स तैयार कर लगाने	4.80	9600	500	16.01.19 से 18.01.19 को सांय 3.00 बजे तक	दिनांक 21.01.19 को प्रातः 11.30 बजे तक ।	21.01.19 को दोपहर बाद 3.00 बजे

नोट:- (1) निविदा सम्बन्धी प्रपत्र एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, कलेक्ट्रेट बीकानेर में कार्यालय समय में एवं www.sppp.raj.nic.in पर एवं www.bikaner.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

- (2) निविदा प्रतिभूति राशि व निविदा शुल्क राशि का डी.डी. ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner के नाम में भौतिक रूप से इस कार्यालय में दिनांक 21.01.19 को प्रातः 11.30 बजे तक जमा करवाना आवश्यक है।
- (3) निविदा निर्धारित प्रपत्र में की स्वीकार की जायेगी। निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (4) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार उपापन समिति को होगा।

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक)
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
बीकानेर।

Govt. of Rajasthan

ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner Rajasthan

Phone No: 0151-2202158 e-mail ID dlo.doit.bikaner@rajasthan.gov.in

निविदा प्रपत्र संख्या.....

निविदा विक्रय की अंतिम तिथि.....18.01.2019.....

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय.....21.01.2019 को प्रातः 11:30 बजे तक.....

निविदा खोलने की तिथि व समय21.01.2019 को दोपहर 03:00 बजे.....

निविदा प्रपत्र

- 1- ई-मित्रा परियोजना में शहरी ईमित्रा कियोस्कों पर रेट लिस्ट व बैनर बोर्ड फलैक्स तैयार कर लगाने के लिये मूल्य प्रस्ताव संविदा (Rate Contract)
- 2- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता.....
.....
- 3- फर्म का जीएसटी नम्बर.....
- 4- संदर्भ निविदा सूचना क्रमांकदिनांक.....
- 5- निविदा शुल्क रूपये 500/- रसीद संख्या.....दिनांक.....द्वारा जमा।
- 6- हम इस निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई समस्त शर्तों से सहमत हैं तथा इसकी सहमति में हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर कर दिये हैं।
- 7- धरोहर राशि रु. 9600/- रसीद/डी.डी./बैंकर चैक संख्या.....
दिनांकद्वारा जमा करवायी गई।

8-

पैन नम्बर	बैंक का नाम	शाखा	खाता संख्या	आईएफसीआई कूट संख्या

Soh
इसकी प्रतिकृति
कार्यालय निम्न सूचना श्रेणीकी और संकेत किया
बीकानेर

हस्ताक्षर निविदा दाता
(नाम मय मोहर)

Special Terms and Conditions for tender of FLEX Year 2018-19

Instruction: - The Law relating to procurement " The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012" [hereinafter called the Act] and the "Rajasthan Public Procurement Rules, 2013" [hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the Bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

1. निविदा दाता को निविदा दस्तावेज सूचना, बोली दस्तावेज फार्म में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्बोधन तथा मोहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रथम लिफाफा निविदा दाता की तकनीकी योग्यता एवं निविदा दस्तावेज के संबंध में होगा तथा द्वितीय लिफाफा में मात्र सामग्री की दरें/ वित्तीय प्रस्ताव सं संबंधित होगा। शेष सभी दस्तावेज मय बोली प्रपत्र प्रथम तकनीकी लिफाफे में डाले जाये।

2. (अ) तकनीकी प्रस्ताव:-

क्रं.सं.	तकनीकी योग्यताएँ	वांछित प्रपत्र
1	निविदा दाता को किसी बोर्ड, कॉरपोरेशन, प्राधिकरण निगम द्वारा ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।	राशि रूपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ पत्र।
2	निविदा दाता के पास वाणिज्यिक विभाग में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।	रजिस्ट्रेशन प्रमाण - पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति
3	निविदा दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।	पैनकार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
4	निविदा दाता का गत तीन वर्षों (2015-16, 2016-17, 2017-18) में वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 2.00 लाख रूपये होना चाहिए।	गत तीन वर्षों (2015-16, 2016-17, 2017-18) के वार्षिक टर्नओवर के प्रमाण स्वरूप ऑडिट रिपोर्ट/सीए का प्रमाण पत्र/VAT or GST return
5	निविदा शुल्क एवं निविदा प्रतिभूति राशि	निविदा शुल्क 500 रु० एवं निविदा प्रतिभूति राशि 9600 रु० का डीडी एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बीकानेर के नाम से संलग्न करना होगा।
6	अनुलग्नक A से N में घोषणा करनी अनिवार्य है।	

3. नोट :-उक्त शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदा दाता की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

1. मूल्यांकन कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रक्रिया :-

1. सर्वप्रथम निविदा दाताओं की तकनीकी निविदा समिति द्वारा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में सफल पाये गये निविदा दाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। उपापन की जा रही प्रत्येक आइटम में जो निविदा दाता न्यूनतम/सर्वाधिक लाभप्रद
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार निविदा दाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
3. दरों का प्रस्ताव आइटम वाईज देना अनिवार्य होगा।
4. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में जीएसटी को अलग से दर्शाना होगा।
5. दरें नियुक्त स्थान पर शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जाएगी। दरों में जीएसटी पृथक से दिखाया जाना अनिवार्य है।
6. किसी भी कारण से कर/प्रभार की दरों में वृद्धि होने पर भी अनुबन्धित दर में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
7. अत्यन्त अव्यावहारिक दरें प्राप्त होने की दशा में न्यूनतम दर वाले निविदा दाता की दरों को स्वीकार किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।

कार्यालय प्रिन्स सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बीकानेर

II. दरों की तुलना :-

राजस्थान की फर्मों द्वारा उद्धृत दरों में से जी.एस.टी. कर के तत्व ही हटा दिया जाएगा तथा राजस्थान के बाहर की फर्मों की दरों में सी.जी.एस.टी. के तत्व को शामिल किया जाएगा। ऐसे मामलों में यदि राजस्थान की फर्मों द्वारा विक्रय हेतु प्रस्तावित किसी वस्तु का मूल्य (जी.एस.टी. के तत्व को कम करने पर) राजस्थान के बाहर की फर्म के मूल्य (सी.जी.एस.टी. के मूल्य को शामिल करते हुए) के बराबर या उससे कम है, तो वस्तु का क्रय राजस्थान की फर्म से किया जाएगा।

III. मूल्य अधिमान व क्रय अधिमान :-

1. राजस्थान की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के प्रावधानों के अनुसार मूल्य अधिमान व क्रय अधिमान दिया जाएगा।
2. राजस्थान राज्य की किसी भी लघु उद्योग इकाई को निविदा प्रपत्र निर्धारित बोली शुल्क 50 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ही उपलब्ध कराया जावेगा।

IV. विधि मान्यता-

1. निविदा दाता द्वारा निविदा में प्रस्तुत दरें निविदा खुलने की दिनांक से 90 दिन तक वैध रहेगी। इस अवधि में अनुबन्ध होने पर दरें वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति तक ही मान्य होंगी।

V. निविदा प्रतिभूति राशि (Tender Security Amount)

1. निविदा प्रतिभूति राशि (Tender Security Amount) :- Tender Security का निर्धारण अनुमानित लागत के 2% के बराबर किया जायेगा। निविदा के साथ निविदा प्रतिभूति प्रस्तुत की जायेगी। निविदा प्रतिभूति राशि के बिना निविदाएं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बीकानेर के पक्ष में नकद, बैंक चैक मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से, किसी भी एक रूप में जमा करानी होगी।

VI. निविदा प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय (Refund of Tender Security Amount) :- असफल निविदादाता की निविदा प्रतिभूति राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा शीघ्र लौटायी जाएगी।

VII. निविदा प्रतिभूति राशि से छूट :-

1. जो फर्म आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार के पास पंजीकृत है उन्हें उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिये वह उस रूप में पंजीकृत है, निविदा प्रतिभूति राशि नियमानुसार जमा करानी होगी। किन्तु राजस्थान के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज उद्योग इकाईयों जो आयुक्त, उद्योग विभाग, राज. जयपुर द्वारा पंजीकृत है। वित्त विभाग (राजस्थान सरकार) की अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के अनुसार Annexure "L" के अनुरूप जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं Annexure "M" में फार्म बी के अनुरूप निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर निविदा प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। निर्धारित निविदा प्रतिभूति/कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. उपक्रम, निगम, स्वायत्तशासी निकाय, रजिस्टर्ड समितियां, सहकारी समितियां, जो सरकार, सरकारी उपक्रमों एवं संघ सरकार एवं राजस्थान सरकार की कंपनियों द्वारा नियन्त्रित/प्रबन्धित है। उक्त से निविदा प्रतिभूति राशि/ कार्य संपादन प्रतिभूति राशि नहीं ली जाएगी।
3. अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा निविदा प्रतिभूति राशि/ कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को नई निविदाओं के लिए निविदा प्रतिभूति राशि/ कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो निविदा प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

VIII. निविदा प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) :- निविदा प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जाएगा:-

1. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
जब निर्धारित समय के भीतर प्रदाय निर्देशानुसार मदों का प्रदाय करने में असफल रहता है।

राजस्थान राज्य उद्योग विभाग
एनालिस्ट (उप-निदेशक)
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
बीकानेर

4. जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) जमा नहीं कराता हो।
5. जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।
6. जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार सामग्री परिवहन कार्य सम्पन्न करने में असफल रहता हो।

IX. करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) :-

1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिये निविदाएं स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य का 5 प्रतिशत राशि कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी।
2. कार्य संपादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:-
 - (a) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा,"
 - (b) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
 - (c) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। निविदा के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से संस्था के नाम अंतरित की जायेगी
 - (d) किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी/गारंटियों। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
 - (e) किसी अनुसूचित बैंक नियत जमा रसीद(एफडीआर)। यह निविदा लगाने वाले के खाते विभाग (उपनिदेशक डीओआईटीसी) के नाम होगी और निविदा लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। विभाग नियत जमा रसीद को स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा की निविदा लगाने वाला बैंक की ओर से विभाग को संबंधित निविदा लगाने वाले की सहमति के अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य संपादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी जमा नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।
3. निविदा के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को निविदादाता के आवेदन पर कार्य संपादन प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा।
4. कार्य संपादन प्रतिभूति के संबंध में आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज के रूप में पंजीकृत है उन्हें उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिये वह उस रूप में पंजीकृत है, कार्य संपादन प्रतिभूति राशि नियमानुसार जमा करानी होगी। किन्तु वित्त विभाग (राजस्थान सरकार) की अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के अनुसार Annexure "L" के अनुरूप जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं Annexure "M" में फार्म बी के अनुरूप निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। निर्धारित कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम निविदा प्रतिभूति राशि/कार्य संपादन प्रतिभूति जमा कराने से मुक्त होंगे।
6. कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण (Performance Security) :- कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा:-
 - (a) जब निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (b) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - (c) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
7. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टॉम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टॉम्प शुदा मूल प्रति निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी। जिसकी सत्यापित फोटो प्रति सफल निविदादाता को उपलब्ध करायी जायेगी।

राजस्थान सरकार
उद्योग विभाग
जयपुर

X. कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्तें :-

1. उत्तम गुणवत्ता की सामग्री का ही क्रय किया जाना है जिसका निर्धारण सक्षम समिति द्वारा किया जावेगा।
2. सफल निविदादाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
3. सशर्त निविदाएँ अस्वीकार्य होंगी।
4. निविदादाता को इस निविदा आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न एस.आर.प्रारूप-11 अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करना होगा।
5. सफल निविदादाता द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आदेशित कार्यादेश की अनुमानित राशि का पॉच प्रतिशत निविदा स्वीकार किये जाने की तिथि से 07 दिवस के भीतर डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चेक आदि (एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बीकानेर के नाम देय) जमा कराना होगा। सफल निविदादाता द्वारा जमा की गयी निविदा प्रतिभूति राशि का समायोजन, कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में किया जा सकेगा। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्ध कर्ता को लौटा दी जावेगी। इस राशि पर कोई व्याज देय नहीं होगा।
6. निविदा अवधि में सफल निविदादाता एवं एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बीकानेर के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बीकानेर का निर्णय अन्तिम होगा।
7. सभी प्रकार के कानूनी वाद बीकानेर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
8. अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य की दरें स्थिर रहेगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम प्रभावी होंगे।
9. प्रचार सामग्री की अनुलग्नक "J" में अंकित कार्यालय में सप्लायर से पूर्व यह जिम्मेदारी सप्लायर की होगी कि वह समस्त सप्लायर की गई सामग्री का संबंधित स्टोर शाखा से स्वीकृत करावे।
10. सप्लायर हेतु प्रस्तुत सामग्री को रद्द किये जाने की स्थिति में ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर सामग्री वापिस ले जानी होगी, जिसके लिए कोई व्यय जिला कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
11. प्रत्येक सप्लायर के साथ आपूर्तिकर्ता को 3 प्रतियों में चालान अपने प्रतिनिधि के साथ अनिवार्यतः भेजना होगा तथा उसके आधार पर स्टोरकीपर/प्रबन्धक के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि कम्प्यूटर हार्डवेयर सुपूर्दगी की गिनती एवं अनलोडिंग उनके समक्ष करानी होगी तथा चालान की दो प्रतियों पर प्राप्ति रसीद वापस लेनी होगी।
12. सन्तोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण सप्लायर न किये जाने पर निविदादाता से किये गये अनुबन्ध को निरस्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी।
13. निविदादाता को फर्म /गोदाम का पूर्ण पता मय टेलीफोन नम्बर निविदा प्रपत्र में अंकित करना होगा। सक्षम समिति अथवा उसके किसी प्रतिनिधि को निविदादाता फर्म/गोदाम निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा।
14. सफल निविदादाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा सप्लायर किये जाने वाले सामान को सही स्थिति में कार्यालय तक पहुँचाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन के दौरान हुई किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।

XI. निरीक्षण :-

- A. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समय पर प्रदायकर्ता के परिसर का निरीक्षण कर सकेगा एवं सामग्री का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।
 - B. निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशाप का जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रायोजन के लिए संपर्क करना होगा।
- सप्लायर जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे निविदा प्रपत्र के स्पेसिफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है।

XII. सुपूर्दगी अवधि:-

कार्यालय बिना सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बीकानेर

निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी वह आपूर्ति आदेश की तारीख से 10 (दस) दिवस के भीतर आदेशों में वर्णित (Annexure "J") तक सामान सप्लाई की व्यवस्था करेगा। निर्वाचन कार्य की महता को ध्यान में रखते हुए आदेशानुसार सप्लाई देनी होगी।

XIII. रद्द करना :-

1. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।
2. तथापि यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से उन वस्तुओं को बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।
3. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता द्वारा उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटाना होगा। इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें यह उचित समझे, बेचने का अधिकारी होगा।

XIV. परिसमापित नुकसानी :-

1. परिनिर्धारित क्षति (लिक्विडेटेड डेमेजज) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-
 - (a) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
 - (b) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिये 5%
 - (c) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिये 7.5%
 - (d) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक एवं 100% अवधि के विलम्ब तक के लिये 10%
2. विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा।
3. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
4. यदि प्रदायकर्ता (Supplier), किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई का पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा से घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
5. यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदा दाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
6. राशि की कटौती फर्म के लम्बित भुगतान / कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से की जावेगी।

XV. बीमा :- सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान का चोरी, नाश, साक्ष्य द्वारा या आग, बाढ़, मौसम से पडा रहने के कारण या अन्यथा जैसे युद्ध, विद्रोही, दंगे आदि द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा, तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

XVI. भुगतान :-

1. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
2. राशि का भुगतान सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में प्राप्त होने पर किया जायेगा।
3. विभाग द्वारा फर्म के बिलों से नियमानुसार आयकर एवं अन्य कटौती की जावेगी।
4. जब तक पक्षकारों के मध्य, अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
5. विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बीकानेर के निर्णयानुसार राशि को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
6. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों के साथ आपूर्ति की गई सामग्री के संबंध में संबंधित संस्था से कराये गये पूर्व निरीक्षण (PDI) की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

सहायक निदेशक (उप-निदेशक)
एशिया (उप-निदेशक)
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
बीकानेर

XVII. वसूलियाँ :- परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट-फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिलों में रोकी जाएगी। कम सप्लाई, टूट-फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिविटीडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति से की जाएगी।

XVIII. Cancellation : In case ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner do not require part or entire ordered quantity, due to any reason, it may cancel the part or entire order during the period of contract and/or any extended period, for which no claim of the supplier shall be entertained.

XIX. Repeat Order - The limits of repeat order shall be upto 50% of the value of goods/period of the original contract.

XX. Inspection :

1. ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner will carry out sudden inspection of the factory/ works of the Tenderer before or during the supply contract without prior intimation. If the factory is found un-functional or the details of the Plant and machinery if found otherwise than as mentioned in the Tender, TENDER SECURITY/SECURITY DEPOSIT might be forfeited.
2. ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner reserves the right to reject the tender of tenderers whose report have been found unsatisfactory any time during the supply contract or Tenderers who have been debarred for any reason anytime during the supply contract.
3. Date of receipt of material at the destination shall be considered for calculating recovery of liquidated damages.

XXI. Dividing quantities among more than one tenderer at the time of award.-

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the tenderer, whose tender is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the tenderer, whose tender is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided among the tenderers, whose tender is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted as the lowest. Counter offer to first lowest tenderer (L1), in order to arrive at an acceptable price, shall account to negotiation. However, any counter offer thereafter to second lowest tenderer (L2), third lowest tenderer (L3) etc., (at the rates accepted by L1) in case of splitting of quantities, as pre- disclosed in the tendering documents, shall not be deemed to be a negotiation.

(b) **Execution of agreement.-** The tenderer shall execute the agreement on a non judicial stamp of specified value at its cost.

XXII. अन्य शर्तें एवं अनुदेश :-

1. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बीकानेर द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान कारण अवगत कराते हुए या बिना अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अनुबन्धकर्ता को किसी भी प्रकार का हर्जा-खर्चा नहीं दिया जावेगा।
2. सफल निविदादाता को दर अनुमोदित करने से 07 दिवस की अवधि में अनुबन्ध रुपये 500/-के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
3. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, बीकानेर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
4. निविदादाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 80(2) में वर्णित सत्यनिष्ठ संहिता का पालन करना होगा।
5. किसी भी निविदादाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 81(3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।

कार्यालय जिला सूचना प्रौद्योगिकी
बीकानेर

6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान, राज्य सरकार एवं निर्वाचन विभाग राज0 जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा निर्देश/आदेश जो इस निविदा आमंत्रण सूचना हेतु प्रासंगिक हों, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग बीकानेर एवं सफल निविदादाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगे।
7. दी जाने वाली दरें 24 घंटे के लिये होगी। दिन रात्रि 12 बजे से शुरू हो कर अगले दिन रात्रि 12 बजे तक होगा।

XIV. Please read carefully and comply :-

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No. Conflict of Interest

Annexure B: Declaration by Bidders regarding Qualifications

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

Annexure D: Additional Conditions of Contract

Annexure E: निविदादाता द्वारा घोषणा (as per SR 11)

Annexure F: निविदादाता द्वारा घोषणा (not being black listed)

Annexure G: Declaration by bidder (Manufacturer's authorisation)

Annexure H: Declaration by bidder (under Sec 7 of RTPP Act 2012)

Annexure I: Technical Bid Submission Sheet

Annexure J: Place of delivery of Flex Banner and Stickers

Annexure K: Financial Bid and specifications

Annexure L: Certificate from District Industries Centre

Annexure M: Format of Affidavit

Annexure N: Rate Contract Aggrement for Flex banner and Rate List

Signature of the
Bidder with Seal

Sky
एसोसिएट (उप-निदेशक)
कार्यालय जिला सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
बीकानेर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-


The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1


एग्रीपी (उप-निदेशक)
कार्यालय किता बुयना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
बीकानेर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder


In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1


 राजस्थान विद्यापीठ (उच्च शिक्षण) (उच्च शिक्षण विभाग)
 राजस्थान विद्यापीठ (उच्च शिक्षण) और विद्यापीठ विभाग
 बीकानेर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Director, ICDS, Rajasthan

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary, WCD, Rajasthan

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable:

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases


No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc.


एसीपी (उप-निदेशक)
जार्जलिय जिला सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
बीकानेर

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

SA
[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- ii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose bid is accepted.

Saty
 एसीसी (अपेक्षित)
 कार्यालय जिला सूचना अधिकारी और सहायक

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों /उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम बONAFAईड विनिर्माता/विनिर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि (Authorised Singnatory) जिसे इस निविदा हेतु अधिकृत किया गया है/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम है।*

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

फर्म का नाम

पता

* कृपया सही पर ✓ करें।

Saty
 (सीजी (उप-निदेशक)
 कार्यालय विद्या रावण प्रौद्योगिकी और सेवाएं विभाग
 दिल्ली

(Annexure "F")

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस सामग्री की आपूर्ति का कार्य जहाँ कहीं भी किया है, उस कार्य हेतु विगत 3 वर्षों में कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम /कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह घोषणा करते हैं की हमें किसी भी न्यायालय में सामग्री की आपूर्ति के सन्दर्भ में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर

फर्म का नाम

पता

Sahy
 एसीपी (उप-निदेशक)
 कार्यालय जिला सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
 जयपुर

Annexure 'G'

Manufacturer's Authorization (In case of procurement valuing more than Rupees 10 lakh)

Manufacturer's Authorizations

NIB. NO. - 4

To,
ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner
Bikaner

WHEREAS

We, who are Manufacturers of Tent arrangements having factories at _____ do hereby authorize _____ to submit a Bid in relation to the Invitation for Bids indicated above, the purpose of which is to provide Tent arrangements, manufactured by us _____ and to subsequently negotiate and sign the Contract. We hereby extend that the goods supplied by us shall be free from defects arising from any act or omission by us or arising in design, materials and workmanship, under normal use, with respect to the Goods offered by us in reply to this Invitation for Bids.

Name _____

In the capacity of : _____

Signed _____

Duly authorised to sign the Authorizations for and on behalf of _____

Tel: _____ Fax: _____ e-mail _____

Date _____

(Shall be submitted along with the Bid Security)

Sch
एससी (उप-निदेशक)
कार्यालय जिला सूरमा प्रोजेक्टि और संचार विभाग
बीकानेर

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner for procurement of Flex Etc. in response to their Notice Inviting Bids NIB. NO----- or as per revised date.

I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

(Shall be submitted along with the Bid Security)

Saty
 प्रदीप (उप-निदेशक)
 प्रमुख निदेशक (उप-निदेशक) और बीकानेर विभाग

Technical Bid Submission Sheet

NIB. NO. ----

ACP (Dy. Director), DoITC
Bikaner

We, the undersigned, declare that:

- (a) We have examined and have no reservations to the Bidding Document. We offer to supply and Instalation in conformity with the Bidding Document and in accordance with the supply schedule given from time to time for supply and Instalation of Flex Etc.
- (b) Our Bid shall be valid for a period of 90 days from the date fixed for the bid submission deadline in accordance with the Bidding Document, and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiration of that period;
- (c) If our Bid is accepted, we commit to obtain a Performance Security in the amount of 5% of the Contract Price or Performance Security Declaration for the due performance of the Contract.
- (d) Our firm, for any part of the Contract, have nationalities from the eligible countries
- (e) We are not participating, as Bidders, in more than one Bid in this bidding process, in the Bidding Document.
- (f) Our firm, its affiliates or subsidiaries, including any subcontractors or suppliers has not been debarred by the State Government or the Procuring Entity.
- (g) We understand that this Bid, together with your written acceptance thereof included in your notification of award, shall constitute a binding contract between us, until a formal Contract is prepared and executed.
- (h) We understand that you are not bound to accept the lowest evaluated bid or any other bid that you may receive;
- (i) We agree to permit the Procuring Entity or its representative to inspect our accounts and records and other documents relating to the bid submission and to have them audited by auditors appointed by the Procuring Entity.
- (j) We declare that we have complied with and shall continue to comply with the provisions of the Code of Integrity for Bidders as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 and this Bidding Document in this procurement process and in execution of the Contract;

Name/ address: _____


In the capacity of : _____

Signed : _____

Duly authorised to sign the Bid for and on behalf of _____ Date _____


Tel: _____ Fax: _____ e-mail: _____

(Shall be submitted along with the Bid Security)



Place of Delivery

Sr.	Name of Office
1	2
1	E-Mitra Urban Centres Bikaner District


 एसीपी (उप-निदेशक)
 काशीपुर जिला सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
 काशीपुर

**फलेक्स बैनर एवं रेट लिस्ट हेतु दर प्रस्ताव
(द्वितीय लिफाफे हेतु)**

S. No.	Items	Specification	Size	Rate (In Rs.) To be entered by the Bidder Excluding GST (Rs.)	GST Payable As applicable (%) (Rs.)	TOTAL Amount In Figures (Rs.)	TOTAL Amount In words (Rs.)
1	2			3	4	5	6
1	BANNER FRONT LIT FLEX WITH FRAME	<ul style="list-style-type: none"> • PRINTING ON STAR EQUIVELENT BRAND OF 9 OZ MEDIA • SOLVENT PRINTING OF 3 PASS • FRAME OF 1" SQUARE PIPE OF 2.0 KG LENGTHS OF 20 FT. INSTALLATION WITH GI WIRE ON TOP AND BOTTOM 	6 *3	@Per Sqfeet		@Per Sqfeet	
2	BANNER FRONT LIT FLEX WITH FRAME	<ul style="list-style-type: none"> • PRINTING ON STAR EQUIVELENT BRAND OF 9 OZ MEDIA • SOLVENT PRINTING OF 3 PASS • FRAME OF 1" SQUARE PIPE OF 2.0 KG LENGTHS OF 20 FT. INSTALLATION WITH GI WIRE ON TOP AND BOTTOM 	4*3	@Per Sqfeet		@Per Sqfeet	
3	VINYL ON SUNBOARD	<ul style="list-style-type: none"> • 2.8 MM SUNBOARD • SOLVENT PRINTED VINYL PASTED ON SUNBOARD WITH TWO HOLE PASS 	6 *3	@Per Sqfeet		@Per Sqfeet	
4	VINYL ON SUNBOARD	<ul style="list-style-type: none"> • 2.8 MM SUNBOARD • SOLVENT PRINTED VINYL PASTED ON SUNBOARD WITH TWO HOLE PASS 	4 *3	@Per Sqfeet		@Per Sqfeet	
5	INSTALLATION/PASTING CHARGES OF FLEX/VINYL			@Per Sqfeet		@Per Sqfeet	

Punjab State Road Transport Corporation
 Chandigarh

Office of the District Industries Centre -----

CERTIFICATE
(See clause 10)

File No. -----

Date -----


It is certified that M/s ----- was inspected
by ----- on dated ----- and the facts mentioned by
the enterprise are correct as per the record shown by the applicant. The enterprise is eligible for Price
Preference or Purchase Preference or both under this notification. The certificate is valid for one year
from the dale of its issue.

Office Seal

Signature

(Full Name of the Officer)
General Manager
District Industries Centre
Rubber Seal/Stamp

- Enclosure- (1) Application
- (2)
- (3)


The stamp contains the text: "District Industries Centre" and "General Manager".

Form -B

Format of Affidavit

(On non judicial stamp paper of Rs, 20/-)

I.....S/o.....aged.....yrs.....
residing at.....Proprietor/Partner/Director of M/s do
hereby solemnly affirm and declare that:

A. my/our above noted enterprise M/s.....has been issued acknowledgement of
Entrepreneurial memorandum Part- II by the district industries Centre.....

The acknowledgement No. is.....dated.....and has been issued for
manufacture of following items.

Name of Item

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

B. My/our above noted acknowledgment of Entrepreneurial Memorandum Pat-II has not been
cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly
manufacturing the above items.

C. My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to
manufacture the above noted items.

Place

Signature of
Proprietor/Director
Authorized Signatory with
Rubber Stamp and date

Satyajit
 (Signature)
 सत्यजित मिश्रा (उद्योगिक निदेशक)
 उद्योग विभाग, रायचूर, रायचूर जिला, मध्य प्रदेश

(Annexure "N")

RATE CONTRACT AGREEMENT

This Agreement is made on the ___ day of _____ 2018 between ACP (Dy. Director), DoITC Sri Ganganaagar, ----- having its Office at ----- (Hereinafter referred to as 'ACP (Dy. Director), DoITC) – Bikaner

FIRST PARTY

AND

M/s _____ having its office _____ (Hereinafter referred to as the eligible 'Bidder') on the terms and conditions set forth hereunder: -

SECOND PARTY

1. The expression of first and second party shall mean and include their Representatives, Heirs, Successors, Legal Representative Administrators, Nominees & Assigns etc.
2. That the duration of this contract shall be one year from _____ to _____ ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner reserves the right to increase the quantity up to 50% on same rate, terms & conditions & further extend the duration up to _____ as per requirement ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner. Supply schedule may be issued in aforesaid period.
3. That the Bid form as submitted by the Bidder and all the terms and conditions enumerated therein as well as that in the Purchase Order, provision of which would have superseding effect in case of any contradiction in any condition of the Bid and that of the Purchase Order.
4. The conditions of the Bid and contract for open Bid enclosed to the NIB. NO. ----- Dated ----- and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
5. Purchases Order No. _____ dated _____ issued by the ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner and appended to this agreement shall also form part of this agreement.
6. A. The ACP (Dy. Director), DoITC, Bikaner do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner will pay through RTGS/Cheque/D.D or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

Handwritten signature and stamp of the ACP (Dy. Director), DoITC, Bikaner.

- B. 100% payment of bills shall be released by ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner for supplies made on receipt of verified bills.
- 7. The ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner and Accounts reserves the right to reduce or altogether cancel the approved quantity of supply. The ACP (Dy. Director), DoITC and Accounts shall not be liable for any claim by the Bidder in such an event.
- 8. The Bidder shall make supplies as per the given specification and in accordance with the time given in the supply schedule to the respective office as per orders placed to them.
- 9. A. If the contractor fails to execute the order/contract within the period specified in the Bid form / supply schedule, and if such failure to deliver/complete in prescribed time as aforesaid have risen from, any unforeseen cause such as strike, fire, accident, act of GOD resulting in stoppage of work in the factory of the Manufacturer or similar reasons which the Director In charge may find valid for an extension of the time he may extend the period without charging any agreed liquidated damages, His decision shall be final regarding the sufficiency or otherwise of ground for extension of time.

B. Should the Bidder fail to execute the order/contract within the period specified in the Bid Form/ Supply Schedule. The Director In charge may at his discretion allow extension of time, subject to recovery from the Bidder as liquidated damages and not by way of penalty, as sum equal to the following percentage of the value of goods which the Bidder has failed to supply for the period of delay as stated below :-

- (a) Delay upto on fourth period of the prescribed delivery Period. 2 ½%
- (b) Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the 5% Prescribed delivery period.
- (c) Delay exceeding one Half but not exceeding three 7 ½% fourth of the prescribed delivery period.
- (d) Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery 10 % Period.

Notes:

- (i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.
- (ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%
- (iii) When the successful Bidder is unable to complete the order/contract within the the specified or extended period the ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner, Rajasthan shall be entitled to accept supply and get the work done from the open market without notice to the Bidder , but at his risk and cost i.e. Bidder "s Account and risk. The goods or any part thereof which the Bidder has failed to supply or if not available, the best and nearest available substitute thereof or to cancel the contract and the Bidder shall be liable for any loss or damage which the ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner, Rajasthan sustained by reason of such failure on the part of the Bidder . But the Bidder shall not be entitled to any gain on such purchase made against default. The recovery of such loss or damage shall be made from any sum accruing to the Bidder under this or any other contract with the District Election Officer Bikaner, Rajasthan. If recovery is not possible from the bills and the contractor ACP (Dy Director) DoITC fails to nav the loss or damage within one month the

ACP (Dy. Director)
 DoITC Bikaner
 Rajasthan

recovery shall be made under any law for the time being in force or from any other bills outstanding with the ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner, Rajasthan.

- (iv) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrance, he shall apply in writing to the authority, which has placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.
- (v) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hindrances beyond the control of the Bider.

10. ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner, Rajasthan reserves the right to conduct sudden/random inspection of the supplied goods to check the quality of supplied items at ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner or any place even after the final payment. If qualities of supplied goods are not found up to the mark, rejected printing material can be deform (विकृत करना) and same may be given to supplier. If the supplier would not taken the rejected goods within 15 days then ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner, Rajasthan is free to destroyed the same on the cost of supplier. The suitable deduction shall be made from the bill. The decision of the ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner will be final and binding to the supplier firm. In this regard claim of any supplier shall not be accepted.

11. All legal proceedings, arising out of this contract shall be subject to the jurisdiction of the courts situated at Bikaner only.

12. That this Agreement shall bind the above party and their respective heirs, representatives & assigns. In witness there of the ACP (Dy. Director), DoITC Bikaner and the Bidder have here unto set and subscribed their respective signatures in the presence of following witnesses:-

For M/s. _____

ACP (Dy. Director), DoITC -----

Authorized Signatory

Witness

Witness

1. _____

1. _____

2. _____

2. _____

(Handwritten Signature)
 (Dy. Director)
 (DoITC Bikaner)
 कार्यालय जिला प्रमुखा (डी.डी.ओ.) और सचिव, बिकानेर